# न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

| | | |
|---|---|---|
| मि0 न0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
| 127/2025 | 05.08.2025 | 27 .02.2026 |

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

**उनवान**

न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 24 करबला चौक सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री आबिद खान एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

**–: निर्णय :–**

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 156 नया 141 पुराना की खसरा नं0 153/556 रकबा 0.41 है0 कुल 1 किता की 0.41 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता सं0 47 नया खसरा नं0 77 रकबा 0.72 है०, खसरा नं0 78 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 88 रकबा 1.72 है0 कुल 3 किता की 3.14 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता नं0 157 की ख0नं0 54 रकबा 0.58 है० कुल 1 किता की 0.58 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमे वादी के पिता का नाम नुर मोहम्मद दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 संलग्न है। यह की उक्त आराजीयात में वादी के पिता का नाम नूर मोहम्मद दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का समस्त दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम शेर मोहम्मद है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान केडीड कार्ड आदी लेने

में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।. यह कि उक्त वादी के पिता का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादी के पिता का नाम शेर मोहम्मद है। वादी के पिता का नाम ग्राम गोकुलपुरा के उक्त तीनो खातो की आराजी में नूर मोहम्मद दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिऐ किसान केडीड कार्ड लेने से वन्चित हो रहा है। वादी को दस्तावेजो के आधार पर अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी के पिता का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।. यह कि वादी की ग्राम गोकुलपुरा की अन्य जमाबन्दीयों में भी वादी के पिता का सही वास्तविक नाम शेर मोहम्मद दर्ज हे नकल जमाबन्दी सलंग्न है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा ग्राम गोकुलपुरा की उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम शेर मोहम्मद के स्थान पर नुर मोहम्मद दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम शेर मोहम्मद दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 22.07.2025 को निवेदन करने पर उन्होनें कोई ध्यान नहीं किया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 156 नया 141 पुराना की खसरा नं0 153/556 रकबा 0.41 है0 कुल 1 किता की 0.41 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता सं0 47 नया खसरा नं0 77 रकबा 0.72 है०, खसरा नं0 78 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 88 रकबा 1.72 है0 कुल 3 किता की 3.14 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता नं0 157 की ख0नं0 54 रकबा 0.58 है० कुल 1 किता की 0.58 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम नुर मोहम्मद के स्थान पर शेर मोहम्मद दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल

पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी के पिता का नाम न्याज मोहम्मद के स्थान पर शेर मोहम्मद दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 156 नया 141 पुराना की खसरा नं0 153/556 रकबा 0.41 है0 कुल 1 किता की 0.41 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता सं0 47 नया खसरा नं0 77 रकबा 0.72 है०, खसरा नं0 78 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 88 रकबा 1.72 है0 कुल 3 किता की 3.14 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता नं0 157 की ख0नं0 54 रकबा 0.58 है० कुल 1 किता की 0.58 है0 भूमि में वादी के पिता का नाम न्याज मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद उर्फ शेर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(दीपक महावर, RAS)
सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

**उनवान**

न्याज मोहम्मद आत्मज शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 24 करबला चौक सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री आबिद खान एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

**मिसल नम्बर 127/2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए. एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 156 नया 141 पुराना की खसरा नं0 153/556 रकबा 0.41 है0 कुल 1 किता की 0.41 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता सं0 47 नया खसरा नं0 77 रकबा 0.72 है०, खसरा नं0 78 रकबा 0.70 है0, खसरा नं0 88 रकबा 1.72 है0 कुल 3 किता की 3.14 है0 ग्राम गोकुलपुरा की खाता नं0 157 की ख0नं0 54 रकबा 0.58 है० कुल 1 किता की 0.58 है0 भूमि में वादी के पिता का नाम न्याज मोहम्मद के स्थान पर न्याज मोहम्मद उर्फ शेर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|
| मुद्दई | रूपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनाम | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 |

| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|
| मुदालयह | रूपये | पैसे |
| स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(दीपक महावर, RAS)
सहायक कलक्टर
दीगोद